न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 56 / 2025

अनवान : –

1. प्रियंका पुत्री गिरधारीलाल पत्नी बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन त0 व जिला हनुमानगढ़ ।
   प्रार्थी

बनाम्

1. गिरधारीलाल पुत्र हुकमाराम जाति ब्राहमण निवासीयान मेहरवाला त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक टिब्बी।
3. त्हसीलदार राजस्व टिब्बी।
4. उप–पंजीयक तलवाड़ा।

अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
श्री भवंरलाल गौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीया के पिता, अप्रार्थी सं० 1 गिरधारीलाल के नाम से चकनं० 2 एम. डी. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 36 / 136 में कुल 6.173 है० अ०क० आराजी तथा चकनं0 16. एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 35 / 42 में कुल 1.139 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थीया की माता व अप्रार्थी सं0 1 की प्रथम पत्नी सीमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी प्रार्थीया पुत्री है व अप्रार्थी सं0 1 की वारिस प्रार्थीया हैं तथा अप्रार्थी सं० 1 ने प्रार्थीया की माता के स्वर्गवास होने के बाद द्वितीय शादी, प्रतिवादीया सं0 2 के साथ की थी, प्रतिवादी सं0 3 ता 5, गिरधारीलाल की द्वितीय पत्नी से पैदा हुए और प्रार्थीया के साथ अप्रार्थी सं० 1 के वारिसान है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थी सं० 1 के नाम की आराजी जो कि पैतृक सम्पति यानि विरास्तन की सम्पति है जिसमें मुझ प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 गिरधारीलाल के नाम की दोनो चकों की कुल 7.312 है० आराजी में से प्रार्थीया का 1 / 5 हिस्सा यानि 1.4624 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है लेकिन प्रार्थीया के 1 / 5 हिस्सा की आराजी प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने तथा समस्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज रहनें से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थीया अपने हिस्सा की आराजी पर बैंक से फसली ऋण लेने, पानी की बांरी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहती है। इसलिए प्रार्थीया घोषणा इस आशय की प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थी सं0 1 गिरधारीलाल के नाम से चकनं0 2 एम. डी. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 36 / 136 में कुल 6.173 है0 अं०क० आराजी तथा चकनं0 16 एस. एल.डबल्यू के खाता सं0 35 / 42 में कुल 1.139 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी दोनो चकों की कुल 7.312 है० आराजी में से प्रार्थीया 1 / 5 हिस्सा यानि 1.4624 हिस्सा की आराजी की हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार अपना हक घोषित करवाकर रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नं० 2 एम.डी के खाता सं0 36 / 136 व चक नं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0

35/42 में से अप्रार्थी सं० 1 का हिस्सा कम करवाने की अधिकारी व दावेदार है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो कि अप्रार्थी संव 1 के स्वामित्वधारण व स्वामित्वधीन की आराजी है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थीया की माता व अप्रार्थी सं० 1 की प्रथम पत्नी सीमा फौत होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने प्रतिवादीया सं0 2 शारदा से शादी कर ली थी जिससे प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 पैदा हुए है। अप्रार्थी सं0 1 जो कि प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के नाजायज दबाब व असर में है तथा प्रार्थीया को उसके हक व हिस्सा से वंचित करने के लिए व प्रार्थीया के हक व हिस्सा को मारने की गर्ज से अप्रार्थी सं0 1 बिना किसी जायज व कानूनी तथा सामाजिक आवश्यकता के प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज अपनें नाम की आराजी को रहन, बैय करने पर आमादा है तथा प्रार्थीया को अप्रार्थी सं० 1 द्वारा ऐलानियां तौर पर धमकी दी गई है कि मैं अपने नाम से दर्ज आराजी को औने पौने दामों में जल्द ही बैचान कर उक्त भूमि का कब्जा असामाजिक तत्वों को सौप दूँगां, अगर अप्रार्थी सं0 1 अपने इस गलत व विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो गया तो मुझ प्रार्थीया को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थीया अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जावेगी व प्रार्थीया को नाहक ही मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है, ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं0 1 गिरधारीलाल अपने नाम से दर्ज चकनं0 2 एम.डी. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 36/136 में कुल 6.173 है० अ०क० आराजी तथा चकनं0 16 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 35/42 में कुल 1.139 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार से परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममन् व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य कतई गलत आकत किय ह, स्वाकार नही । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी विरास्तन की सम्पति नही हैं। प्रार्थीया ने यह कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 मे वर्णित आराजी में 1/5 हिस्सा बनता हो । प्रार्थीया जरिये घोषणा गिरधारीलाल अप्रार्थी संव 1 से किसी भी तरह से हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 के यह तथ्य कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति हो अस्वीकार है । प्रार्थीया की माता सीमा फौत होना स्वीकार है लेकिन मुझ अप्रार्थी का कोई भी वारिस मेरे जीवनकाल में हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीया मुझ अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी तरह से स्थगन प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अपने हकों की घोषणा होने तक अप्रार्थी को भूमि की यथास्थिति बनायें रखे जाने के लिए पाबंद करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर है। चूंकि प्रार्थीया का अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88 आरटीए वाद न्यायालय में जैरकार है जिसमें साक्ष्य–सबूतों एवं तनकीयात के बाद गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीया के पक्ष में बूखबी साबित है । यदि अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को प्रार्थीया के हक हिस्से घोषित होने से पूर्व खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीया को नापूरा होने वाला नूकसान होने की पूरी–पूरी संभावना है। जिससे सुविधा का संतुलन बिन्दू व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीया के पक्ष में साबित है। उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के मूलभूत बिन्दू यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने के कारण न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीया के अधिकारों को सुरक्षित रखना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय के साथ पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी चक 2 एमडी के खाता सं0 36/136 की कुल 6.173है व चक 16 एसएलडब्लयू के खाता सं0 35/42 की कुल 1.139है. भूमि की रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

निर्णय आज दिनांक 19/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़